भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–132/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
16.10.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुवा का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा पैरवी नहीं दी ई पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 30.11.2019 को रखें। अभिलेख 30.11.2019 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
30.11.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुवा का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त। अगली तिथि ~~31.12.2019~~ को निर्धारित की जाती है। 14.11.20 अभिलेख ~~31.12.2019~~ को उपस्थापित करें। 14.11.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
14.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुवा के पत्रांक–187, दिनांक–24.06.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–25.07.2020 को प्राप्त हुआ। तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा इस वाद में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। विज्ञ अधिवक्ता श्री मुरली प्रधान द्वारा आवेदन पत्र दाखिल कर उक्त वाद को पुनर्जीवित करते भूमि क्रय बिकय करने की अनुमति देने की मांग की गई है। विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन पत्र के आलोक में वाद को पुनर्जीवित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि 07.12.2020 **को रखें।** 14/11/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
07.12.2020	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **सोनुवा** के पत्रांक–187, दिनांक–24.06.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 25.07.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **सोनुवा** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **जीतमोहन महतो**, पिता–**पंचानन महतो**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम+पो0–**भालुरूँगी**, थाना–**सोनुवा**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, **सोनुवा** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा–**भालुरूँगी**, थाना नं0–122, थाना–**सोनुवा**, खाता नं०–11, प्लॉट नं0–620, रकवा–0.10 ए0 भूमि क्रेता **गोसामनी देवी**, पति–**स्व0 सतीश दास**, जाति–**तांती (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम+पो0–**भालुरूँगी**, थाना–**सोनुवा**, जिला–**प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **जीतमोहन महतो**, पिता–**पंचानन महतो**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम+पो0–**भालुरूँगी**, थाना–**सोनुवा**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**सोनुवा**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)** एवं क्रेता का जाति **तांती (अ.पि.वर्ग)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **खेती के लिए बैल की जोड़ी खरिदने हेतु** बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **सोनुवा** अंचल अंतर्गत **रकवा 2.12 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **सोनुवा** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **जीतमोहन महतो**, पिता–**पंचानन महतो**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम+पो0–**भालुरूँगी**, थाना–**सोनुवा**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि **50,000/–(पचास हजार)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 7/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	